REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062025-263914 CG-DL-E-17062025-263914

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2649] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2025/ज्येष्ठ 27, 1947 No. 2649] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2025/JYAISTHA 27, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

का.आ. 2714(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि कोयला उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 4 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5364(अ), तारीख 11 दिसम्बर 2024 द्वारा 28 दिसम्बर, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा की प्रास्थिति का विस्तार छह मास की और अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला उद्योग में लगे हुए उद्योगों की सेवाओं को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 जून 2025 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

> [फा. सं. एस-11017/3/2018-आईआर(पीएल)] अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

S.O. 2714(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Coal industry, which is covered under item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th December, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 5364(E), dated the 11th December, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Coal Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 28th June, 2025.

[F. No. S-11017/3/2018-IR(PL)] AJOY SHARMA, Jt. Secy.